

<p>तारीख मुख्य</p>	<p>हुपम या कार्यवाही मय होनेवाला अथ</p>
------------------------	---

17/11

पत्रावली कोष... को पेश हुई।  
आगामी दिनांक... को पेश की।

25.2.22

उपरोक्त पत्र... को पेश किया गया।  
कार्य से यह... / पदस्थित है।  
अतः पत्रावली दिनांक 10.10.22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी नाण्डल

10-6-22

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषण द्वारा  
न्यायिक कार्य स्थगित / रोककर रखने  
से पत्रावली दिनांक 1.4.22 को पेश हो।

14-6-22

पत्रावली पेश हुई वकील वादिया अनुपस्थित।  
वादिया एवं वादिया के अधिवक्ता को कितनी बार  
कुक-कुक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी  
उपस्थित नहीं। वकील वादिया के अनुपस्थित रहने  
से वादिया का वाद पत्र अदम हाजरी / अदम पैरवी  
में खारीज किया जाता है, पत्रावली फंसल शुमार  
होकर मम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी  
नाडल जिला भीलवाड़ा